न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 18/2022 – निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पालड़ी

–निगराकार

बनाम

1. महावीर पुत्र मदनलाल अजमेरा निवासी 7 एम 7 आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश 07.12.2009, पत्रावली संख्या 35, पट्टा संख्या 792, तारीख आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री पारस कुमार जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.11.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी के द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरुद्ध पंचायत की बेशकीमती आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के कारण पंचायत को लाखों रूपयों की हानि होने से निगकाराकार के द्वारा यह निगरानी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की पालना नही की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितिकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होकर मात्र 200/–रूपये में 5800 वर्गफीट भूखण्ड का पटटा जारी किया गया, निगराकार एक राजकीय संस्था है, जो कि पंचायतीराज अधिनियम से बाधित है, जबकि

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

नहीं हैं। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच /सचिव ने नियम 157 का दुरुपयोग पंचायत को लाखों रूपये का नुकसान पहुंचाया है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरगायी जाकर निगराधीन आदेश मिसल संख्या 35, पट्टा संख्या 792 दिनांक 07.12.2009 को जारी पट्टा अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाये जाने का आदेश फरमावें। निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी के पक्ष में विधिक दृष्टान्त 2019 (1)सीजे (सीवि.)(राज.) 230 उषा बनाम राज. सरकार, 2016 (4) डीनजे(राज.) 1799 शान्ति देवी बनाम स्टेट, 2020 (1) आरआरटी 566 भागीरथ बनाम स्टेट, 2017 (2) डीएनजे (राज.) 668 जब्बर सिंह बनाम स्टेट, 2019 (2) डीएनजे (राज.) 570 ईशाक खान बनाम स्टेट प्रस्तुत किये हैं।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं लिखित बहस में बताया कि निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा स्वंय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। पंचायत राज अधिनियम व सामान्य विधि के किसी भी प्रावधान में किसी वैधानिक संस्था को स्वंय के आदेश के विरुद्ध निगरानी करने का अधिकार नहीं है। धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम में 'व्यक्ति' का उल्लेख किया है संस्था अथवा पंचायत मूर्त व्यक्ति नहीं है क्योंकि मूर्त व्यक्ति ही व्यथित हो सकता है अमूर्त व्यक्ति नहीं। इसलिए हस्तगत निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। हस्तगत निगरानी वाली पट्टेशुदा जायदाद की भूमि गैर निगराकार के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर ग्राम पंचायत पालड़ी में अवश्य स्थित है। लेकिन उक्त भुमि कभी ग्राम पंचायत पालड़ी की नहीं रही है और न ही पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रभाव में आने के बाद यह भूमि पंचायत के स्वामित्व की ही रही है। हस्तगत पट्टा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच व सचिव महोदय ने पुर्णरूपेण नियमों की पालना करते हुये नियम 157 के तहत् सही जारी किया है। ग्राम पंचायत वैधानिक संस्था है तथा उसमें जहाँ जनप्रतिनिधी होते है वहीं सचिव के रूप में राजकीय प्रतिनिधी होता है। सचिव का यह कर्तव्य है कि यदि जन–प्रतिनिधियों द्वारा गलत प्रस्ताव लेकर निर्णय/आदेश पारित किया जाता है तो विकास अधिकारी को सूचित करे जो अपीलीय शक्तियों के अधीन उक्त प्रस्ताव को अपास्त कर सकते है। इस प्रकरण में पट्टे जारी करते समय व उसके 10 वर्ष पश्चात् तक कोई अपील नहीं की गयी। वर्तमान सरपंच भी वर्ष 2019 में निर्वाचित हो गये थे और उन्होंने भी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

लगभग 03 वर्ष तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि वे (सरपंच) इसी गांव के निवासी है। हस्तगत निगरानी काफी देरीना अर्थात् बेरून मियाद पेश होने से कानूनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। उक्त सिद्धान्त न्यायिक दृष्टान्त 2008 (2) DNJ (Raj.) Page 735 में पारित फरमाया गया है। अतः प्रार्थना है कि गैर निगराकार की ओर से उक्तानुसार प्रस्तुत लिखित बहस व न्यायिक दृष्टान्तों पर घोर फरमाते हुये हस्तगत निगरानी गिराकार कानूनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने अपने जवाब में बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के पटटे को दिनांक 28.05.2013 को ही श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्यामलाल कालिया को विक्रय कर दिया गया हैं। इस विक्रय बाबत् निगराकार अधिवक्ता ने कोई खण्डन पेश नहीं किया हैं। पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि निगराकार ने उक्त वादग्रस्त पटटे के क्रेता श्रीमती प्रेम देवी कालिया को इस निगरानी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया हैं। जिससे इस निगरानी प्रकरण में सभी पक्षकारों के अभाव में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी पूर्ण पक्षकारों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत पूर्ण पक्षकारों के अभाव में निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निगरानी प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया गया हैं। ग्राम पंचायत पालडी द्वारा पूर्ण पक्षकारों के साथ नया प्रकरण पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)